दिनांक - 26/07/2024 को कोतवाली डोईवाला को **भोले भाले लोगों को अपने षडयंत्र में फंसाकर भूमि सम्बन्धी धोखाधडी करने वाले गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार, दूसरे व्यक्ति की भूमि को अपना बताकर लोगों को अपने जाल मे फसांकर 60 लाख रूपये की ठगी करने वाले अभियुक्त को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार अभियुक्त के एक अन्य साथी को पूर्व में गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल।**

कोतवाली डोईवाला पर दिनांक 15-05-2024 को एसआईटी से जाँच होने उपरान्त वादी श्री मदन सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी लक्ष्मण विहार नकरौन्दा, हर्रावाला, थाना डोईवाला, देहरादून का प्रा0पत्र प्राप्त हुआ, जिसमे वादी द्वारा अभि0गण 1- उमेश दरमोडा 2-बॉबी कुमार 3- प्रमोद रावत 4- पुष्पा दरमोडा द्वारा षंडयन्त्र के तहत मौजा बडोवाला डोईवाला मे 3080 वर्ग मीटर ग्राम समाज की भूमि को अपना बताकर धोखाघडी कर भूमि बेचने के एवज मे 58,90,000/- हडप लेना तथा अभि0गण द्वारा वादी को जान से मारने की धमकी दिया जाना अंकित किया गया था। प्रा0पत्र के आधार पर थाना डोईवाला पर मु0अ0सं0- 162/24 धारा- 420/120बी/ 506 भादवि पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा टीम गठित आवश्यक निर्देश दिये गये थे। अभियोग मे विवेचना के दौरान प्रकाश मे आये तथ्यो व गवाहो के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 467/468/471 भादवि की वृद्धि की गयी तथा पूर्व में दिनांक 27/06/2024 को मुकदमा मे डोईवाला पुलिस द्वारा घटना के मास्टर माइण्ड अभियुक्त उमेश दरमोडा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

शेष अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक: 26-07-2024 को उक्त षडयंत्र में शामिल एक अन्य अभियुक्त बॉबी कुमार पुत्र स्व0 श्री राजकुमार निवासी ग्राम बडोवाला थाना डोईवाला जनपद देहरादून उम्र-51 वर्ष को डोईवाला से गिरफ्तार किया गया।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त:-

बॉबी कुमार पुत्र स्व0 श्री राजकुमार निवासी ग्राम बडोवाला, थाना डोईवाला, जनपद देहरादून, उम्र-51 वर्ष।

पुलिस टीम:-

01- व0उ0नि0 दीपक रावत

02-कानि0 दिनेश कुमार

कोतवाली डोईवाला
2716230, 9411112818, डायल-112 जनपद-देहरादून (उत्तराखण
OFFICE
डोईवाला
POLICE